

214

संख्या-1191/एक-10-2025-33(46)/2018

प्रेषक,  
कुलदीप सिंह,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,  
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,  
30प्र0 राज्य आपदा प्रवन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।  
राजस्य अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: दिसम्बर, 2025

विषय: 30प्र0 राज्य आपदा प्रवन्धन प्राधिकरण के लिये वित्तीय वर्ष 2025-26 में मानक मद-20- सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित वजट रू० 550.00 लाख में से तृतीय किश्त के रूप में रुपये 137.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,  
उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या-1028/02-वजट/लेखा/2025-26 दिनांक 21.11.2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या 51 के लेखाशीर्षक-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-80- सामान्य-800-अन्य व्यय-06-उत्तर प्रदेश आपदा प्रवन्ध प्राधिकरण-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू० 550.00 लाख में से तृतीय किश्त के रूप में रुपये 137.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 27 मार्च, 2025 के प्राविधानानुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 30प्र0 राज्य आपदा प्रवन्ध प्राधिकरण, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

| (धनराशि लाख रू० में) |  |                    |                          |                             |              |
|----------------------|--|--------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| क्र०                 | मानक मद  | प्राविधानित धनराशि | पूर्व में स्वीकृत धनराशि | स्वीकृत की जाने वाली धनराशि | अवशेष धनराशि |
| 1                    | अनुदान सामान्य (गैर) वेतन)<br>2245-80-800-06-00-20 | 550.00             | 275.00                   | 137.50                      | 137.50       |
|                      | योग  | 550.00             | 275.00                   | 137.50                      | 137.50       |

(रुपये एक करोड़ सैंतिस लाख पचास हजार मात्र)

**नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों**

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
- (2) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2026 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2026 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (3) यू०पी०एस०डी०एम०ए० द्वारा वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-6/2025/वी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पूर्णता अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) राज्य सरकार द्वारा दिये जा रहे अनुदान से प्रतिबद्ध मदों का व्यय वहन करने के पश्चात ही मितव्ययी मदों में उपयोग किया जायेगा।
- (5) यू०पी०एस०डी०एम०ए० द्वारा कम्प्यूटर हार्डवेयर के कार्य के संबंध में आई०टी० इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) यू०पी०एस०डी०एम०ए० द्वारा सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए सूक्ष्म लघु एवं उद्यम विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) उक्त अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5. भाग-1 के प्रस्तर-

369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराते हुये अगली किशत की मांग का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा ।  
2 इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,37,50,000/- (रुपये एक करोड़ सैंतिस लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-80-800-06-00 उत्तर प्रदेश आपदा प्रवन्ध प्राधिकरण मानक मद 20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।  
3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- E-5-108-X-2025-26-दिनांक:23-12-2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

Digitally signed by **कुलदीप सिंह**,  
KULDEEP SINGH

Date: 24-12-2025  
16:57:31 (कुलदीप सिंह)  
उप सचिव।

संख्या-1191(1) / एक-10-2025-33(46)/2018 तददिनांक  
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (प्रथम)/ आडिट प्रथम, 30प्र0, प्रयागराज ।
- 2- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, 30प्र0
- 3- सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, 30प्र0 शासन ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
- 7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार)  
अनुसचिव ।

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026  
आवंटन दिनांक-26/12/2025

प्रेषण संख्या:- 1191

आवंटन आदेश  
संख्या:- 001-1191

अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेतर-मतदेय)

80 - सामान्य

800 - अन्य व्यय

06 - उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण

(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम  |                 | 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | योग                  |
|-------|--|-----------------|---------------------------------------|----------------------|
| 1     | जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a | वर्तमान प्रगामी | 13750000<br>41250000                  | 13750000<br>41250000 |
|       | योग  | वर्तमान प्रगामी | 13750000<br>41250000                  | 13750000<br>41250000 |

महायोग- (वर्तमान  
आवंटन):-

रूपया एक करोड़ सैंतीस लाख पचास हजार

महायोग- (प्रगामी  
आवंटन):-

रूपया चार करोड़ बारह लाख पचास हजार



(संतोष कुमार)  
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी